संख्या-90जेएल/22-3-2025-ई-1906635

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 12-03-2025

विषयः- जनपद-श्रावस्ती के बंदियों का नवनिर्मित जिला कारागार, श्रावस्ती में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-6715/सामा-1(8)/245/जि0का0श्रावस्ती, दिनांक 19-02-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध जनपद श्रावस्ती के 07 वर्ष से कम सजावधि से दण्डित समस्त श्रेणी के समस्त सिद्धदोष बंदियों एवं समस्त श्रेणी के समस्त विचाराधीन बंदियों को नवनिर्मित जिला कारागार, श्रावस्ती में स्थानांतरित किये जाने, विचाराधीन बंदियों की पेशी मा0 न्यायालयों में जिला कारागार, श्रावस्ती से कराये जाने एवं भविष्य में जनपद श्रावस्ती की विभिन्न मा0 न्यायालयों से प्राप्त नये बंदियों को नवनिर्मित जिला कारागार, श्रावस्ती में ही स्थाई रूप से निरूद्ध किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

अनीस अख्तर अंसारी

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।